मतदान करने के लिए अवकाश

मतदान प्रत्येक चुनाव दिवस पर सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक जारी रहेगा

यदि आप उस समय के दौरान अपने कार्यस्थल पर होंगे और आपके पास राज्यव्यापी चुनाव में मतदान करने के लिए कार्य समय के बाहर पर्याप्त समय नहीं है, तो केलीफोर्निया का कानून आपको अपना कोई वेतन गंवाए बिना मतदान करने के लिए दो घंटे तक का अवकाश लेने की अनुमति देता है।

आप मतदान करने के लिए जितना चाहें, उतना समय ले सकते हैं लेकिन उसमें से केवल दो घंटे के समय का भुगतान किया जाएगा।

मतदान के लिए आपका अवकाश आपकी नियमित कार्य शिफ्ट के आरंभ या अंत में ही होना चाहिए, जिसमें आपको अपनी नियमित कार्य शिफ्ट से मतदान के लिए सबसे अधिक खाली समय और सबसे कम अवकाश मिल सकता हो, जब तक आप अपने नियोक्ता के साथ कोई अन्य व्यवस्था न करें।

यदि चुनाव से तीन कार्यदिवस पहले आप यह सोचते हैं कि आपको मतदान करने के लिए अवकाश की ज़रूरत होगी, तो आपको चुनाव से कम से कम दो कार्यदिवस पहले अपने नियोक्ता को सूचित करना होगा।

कर्मचारी द्वारा मतदान के लिए अवकाश के संबंध में नियोक्ताओं को नोटिस

राज्य के कानून (केलीफोर्निया चुनाव संहिता धारा 14001) में नियोक्ताओं से यह अपेक्षा है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए नोटिस लगाएं जिसमें उन्हें राज्यव्यापी चुनावों में मतदान करने के उद्देश्य से सवेतन अवकाश लेने के प्रावधानों के बारे में सूचित किया गया हो।

इस नोटिस का नमूना आपकी सुविधा के लिए इस पृष्ठ की पिछली तरफ छापा गया है।

यदि व्यावहारिक हो, तो यह नोटिस कार्य के स्थान पर या किसी ऐसे अन्य स्थान में सुस्पष्ट रूप से अवश्य लगाया जाना चाहिए जहाँ कर्मचारी इसे प्रत्येक राज्यव्यापी चुनाव से कम से कम 10 दिन पहले अपने कार्य स्थान में आने और जाने के समय देख सकें।

यदि इस नोटिस या चुनाव संबंधी अन्य सूचना के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मतदाता हॉटलाइन से (888) 345-2692 पर संपर्क करें।

कर्मचारी मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश के लिए केवल तभी पात्र हैं यदि उनके पास मतदान के लिए कार्य समय से बाहर पर्याप्त समय न हो। इस कानून की मंशा उन कर्मचारियों को मतदान करने का अवसर प्रदान करना है जो अपने कामों के कारण ऐसा नहीं कर पाएंगे।

मतदान प्रत्येक चुनाव दिवस पर सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक जारी रहेगा।

कर्मचारियों को मतदान करने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार समय दिया जा सकता है, लेकिन अधिकतम दो घंटों का भुगतान किया जाता है।

नियोक्ता अपने कर्मचारियों से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे इस संबंध में अग्रिम नोटिस दें कि उन्हें मतदान के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।

नियोक्ता यह अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसा अवकाश कर्मचारी की शिफ्ट की शुरुआत या अंत में ही लिया जाए।